प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001
Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

23 सितंबर 2025

निरसन हेतु एनबीएफसी (एचएफसी सहित) द्वारा सीओआर का स्वैच्छिक अभ्यर्पण - आवेदन फॉर्म और सांकेतिक जांच सूची

रिज़र्व बैंक ने निरसन हेतु एनबीएफसी (एचएफसी सहित) द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) के स्वैच्छिक अभ्यर्पण पर दिनांक 1 दिसंबर 2022 को एक प्रेस प्रकाशनी जारी की थी, जिसमें आवेदन फॉर्म और सांकेतिक जांच सूची संलग्न थी।

रिज़र्व बैंक ने 28 मई 2024 को प्रवाह पोर्टल का लोकार्पण किया है, ताकि किसी भी व्यक्ति या संस्था के लिए विभिन्न विनियामकीय अनुमोदन और निकासी के लिए सहजता से ऑनलाइन आवेदन करना सुविधाजनक हो सके। चूँकि निरसन हेतु पंजीकरण प्रमाण पत्र (सीओआर) के स्वैच्छिक अभ्यर्पण संबंधी आवेदन उक्त पोर्टल पर उपलब्ध है, अतः आवेदक एनबीएफसी (एचएफसी सहित), जांच सूची में दर्शाए गए सभी प्रकार से पूर्ण दस्तावेजों के साथ आवेदन फॉर्म अपलोड कर सकते हैं।

यह ध्यातव्य है कि किसी कंपनी द्वारा केवल दस्तावेज़ों के साथ आवेदन प्रस्तुत करने को ही पंजीकरण प्रमाण पत्र निरस्त करना नहीं माना जा सकता है। एनबीएफसी/एचएफसी को आरबीआई/एनएचबी/अन्य सक्षम प्राधिकरण आदि द्वारा जारी दिशानिर्देशों/ अनुदेशों का पालन करना जारी रखना होगा और आवश्यक विनियामकीय/ पर्यवेक्षी विवरणी, जैसा भी लागू हो, तब तक प्रस्तुत करना जारी रखना होगा जब तक कि पंजीकरण प्रमाण पत्र निरस्त न कर दिया जाए और रिज़र्व बैंक द्वारा संबंधित संस्था को निर्णय की सूचना न दे दी जाए।

(पुनीत पंचोली)
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/1151